

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक-4503 दिनांक-12.12.2025 द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

(राशि लाख में)			
क्र०सं०	नाम	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना	73.62687	73.62687
कुल योग		73.62687	73.62687

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उपशीर्ष-0001-नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष-13.01-कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०-48-2015001090001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में स्वीकृत कुल राशि ₹73.62687 लाख (तिहत्तर लाख बासठ हजार छह सौ सतासी रुपये) मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 से संबंधित प्राप्त विपत्रों के विरुद्ध BTC-25 में की जाएगी। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/निर्वा०-09-01/2022 के पृष्ठ सं०- 146/टि० पर दिनांक- 08.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 147/टि० पर दिनांक- 13.01.2026 को प्राप्त है।

8. इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/निर्वा०-09-01/2022 430 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-13/01/26

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई भवन पटना/वित्त (बजट शाखा), विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।